फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

मदन लाल टांक बनाम सरकार

केस संख्या 136/2019 (विविध प्रार्थना पत्र)

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष वि
10.2019	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि पत्रावली संख्या 4/1990 सरकार बनाम रामेश्वर प्रसाद पत्रावली संख्या 5/1990 सरकार बनाम घनश्याम एवं पत्रावली संख्या 6/1990 सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण, (किस्म पंचायत निगरानी), ग्राम कानोता के खसरा नम्बर 323 खातेदारी कषि भूमि में दिये गये पटटों बाबत दिनांक 15.07.1991 को निर्णय पारित किया गया है, जिसमें पट्टों की तारीख त्रुटिवश 27.07.1983 की बजाय 15.3.1983 अंकित हो गई है जिसे दुरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता कौ गौर से सुना गया। मूल पत्रावलियां तलब की गई। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 4/1990 सरकार बनाम रामेश्वर प्रसाद, ,पत्रावली संख्या 5/1990 सरकार बनाम घनश्याम एवं पत्रावली संख्या 6/1990 सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण, किस्म पंचायत निगरानियों में पारित निर्णय दिनांक 15.07.1991 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:– " निर्णय दिनांक 15.07.1991 के पृष्ठ संख्या 2 की पंक्ति संख्या 5 में अंकित दिनांक 15.03.83 के स्थान पर दिनांक 27.07.1983 पढा जावे। " उक्त संशोधित आदेश, निर्णय दिनांक 15.07.1991 का अभिन्न अंग रहेगा। संशोधित आदेश पत्रावली संख्या 4/1990, 5/1990, एवं 6/1990 पर पृथक पृथक रखा जावे। आदेश आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय में संशोधित किया गया । (ज[illegible] सिंह यादव) जिला कलक्टर जयपुर	